

21/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....15/3/22.....को पेश हो।

09/3/22

पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार मावली
से पालना प्राप्त। राष्ट्रीय लोक अदालत होने
से पक्षकारों को अग्रिम क्रियावाक्य पत्रावली
द्वारा 12/3/22 को राष्ट्रीय लोक अदालत
में पेश हो।

12/3/22

पत्रावली आज कोर्ट में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
द्वारा दिनांक-15/3/22 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

15/03/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक
राजस्व/2021/702 दिनांक 06/08/2021 से निर्णय
दिनांक 22/06/2021 की पालना नामान्तरकरण
सं. 3624 दिनांक 19/07/21 से कर दी गई है।
अतः पालना हो जाने से अब कोई कार्यवाही शेष
नहीं रहती है। अतः पत्रावली में पालना हो जाने
से पत्रावली स्वीकार कर इसी स्तर पर ड्राफ्ट की
जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से
कम है।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।